

पालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 3/11/2024

तारीख रजु.....

गोपाल वर्मा

बनाम राजस्थान सरकार जॉर्ज एफ लॉरदार उच्च

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 83/12/21 | <p>कॉल जॉर्ज उदाहरित। आज यह जज पत्र 136 पत्र जॉर्ज के कॉल श्री धनश्याम शर्मा एडो ने पत्र किया। कॉलिंग हिपेटि की उक्ति जॉर्ज - पत्र दर्ज पत्रिका है। अफवाज जॉर्ज नोटीफ वजि एड के हलक हकट पत्रावली करते हलकी डिनॉउ 28/12/21 को पत्र है।</p> <p>28/12/21</p> <p>सामिक आदेश दिनांक 23/12/21 जो पालना में परतवली जारी दिनांक 7/1/22 को पेश हो।</p> | |
| 7/1/22 | <p>पत्रावली पेश हुई। कठूमर जज अफवाज करण 240 5 की आद से वलावला को जज इकलाल जजज एडोड दिना 240 दिना पत्रावली करते हीप की हकती (जति) एडो दिनांक 14/1/22 को पेश है।</p> <p>7/1/22</p> <p>सामिक आदेश दिनांक 7/1/22 जो पालना में परतवली जारी दिनांक 4/2/22 को पेश हो।</p> | <p>नदरम</p> <p>सिंघ</p> <p>गारधान</p> <p>दारासिंह</p> |
| 14/1/22 | <p>सामिक आदेश दिनांक 7/1/22 जो पालना में परतवली जारी दिनांक 4/2/22 को पेश हो।</p> <p>14/1/22</p> <p>सामिक आदेश दिनांक 7/1/22 जो पालना में परतवली जारी दिनांक 4/2/22 को पेश हो।</p> | <p>2-10 89. 25.1.22</p> |

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/11/2021

वउनवान

1. गोपाल पुत्र नौवत जाति गुर्जर निवासी पिसई तहसील कटूमर
2. रामजीत पुत्र नौवत जाति गुर्जर निवासी पिसई तहसील कटूमर
3. रामप्रकाश पुत्र नौवत जाति गुर्जर निवासी पिसई तहसील कटूमर
जिला अलवर

प्रार्थीयान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जंरिये तहसीलदार साहव कटूमर जिला अलवर
अप्रार्थी
2. नन्दराम पुत्र बन्नी जाति गुर्जर निवासी पिसई तहसील कटूमर
3. मांगी पुत्र बन्नी जाति गुर्जर निवासी पिसई तहसील कटूमर
4. गोरधन पुत्र बन्नी जाति गुर्जर निवासी पिसई तहसील कटूमर
5. धारा पुत्र बन्नी जाति गुर्जर निवासी पिसई तहसील कटूमर
जिला अलवर

तरतीवी अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 का तकारी अधिनियम

उपस्थित- श्री कृपादयाल गुर्जर एडवोकेट- अधिवक्ता सायलान

आदेश

दिनांक 11.02.2022

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीयान एवं तरतीवी अप्रार्थीयान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 148, 11, 93, 112, 416, 430 वाके ग्राम पिसई तहसील कटूमर में स्थित है। प्रार्थीयान व तरतीवी अप्रार्थीयान की भामलात खातेदारी की आराजी का आपसी

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

सहमति से वंटवारा हुआ था जिसका इन्तकाल संख्या 436 वाके ग्राम पिसई स्वीकार हुआ है। प्रार्थीयान एंव तरतीवी अप्रार्थीयान के मध्य हुये वंटवारे के आधार पर नक्शा ट्रेस में प्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 148/533 की दिशा उत्तर खसरा नम्बर 11 की दिशा पूर्व खसरा नम्बर 93/595 की दिशा पश्चिम खसरा नम्बर 112/527 की दिशा पश्चिम खसरा नम्बर 416/526 की दिशा उत्तर खसरा नम्बर 430/537 की दिशा पश्चिम वाके ग्राम पिसई तहसील कटूमर को नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दिया। जो कि मुताविक वंटवारे के सही दर्ज नहीं किया है। नक्शा ट्रेस में उक्त आराजी की तरमीम करते समय प्रार्थीयान तथा तरतीवी अप्रार्थीयान के खसरा नम्बरों को गलत दिशा में अंकित किया है। प्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 148/533 की सही दिशा दक्षिण, खसरा नम्बर 11 की सही दिशा पश्चिम, खसरा नम्बर 93/535 की सही दिशा पूर्व, खसरा नम्बर 112/527 की सही दिशा पूर्व, खसरा नम्बर 416/526 की सही दिशा दक्षिण खसरा नम्बर 430/537 की सही दिशा पूर्व है। जिसको प्रार्थी नक्शा ट्रेस में सही कराना चाहता है। अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 148/533 की दिशा उत्तर से दक्षिण खसरा नम्बर 11 पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 93/895 पश्चिम से पूर्व खसरा नम्बर 112/527 पश्चिम से पूर्व खसरा नम्बर 418/526 पश्चिम से दक्षिण खसरा नम्बर 430/537 पश्चिम से पूर्व वाके ग्राम पिसई तहसील कटूमर में नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिय नोटिस तलव किया गया। दिनांक 10.02.2022 को अप्रार्थी सं० 2 ला० 5 ने ईकवाल जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी सं० 1 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं जिसके विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076, नकल नक्शा ट्रेस, नकल नामान्तकरण सं० 436 वाके ग्राम पिसई व छाया प्रति नजरी नक्शा पेश किया जो भामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान की एकपक्षिय वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। नामान्तकरण संख्या 436

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

240

वाके ग्राम पिसई विवादित आराजी के आपसी सहमति से वंटवारे का है। जिस नामान्तकरण के आधार पर प्रार्थीयान के नाम अलग अलग खाते दर्ज किये गये जो प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबन्दियों से सावित है। लेकिन नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह सावित है कि प्रार्थीयान के नाम दर्ज आराजी का नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं किया गया है। तरतीवी अप्रार्थीयान ने इस वावत प्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही मानते हुये ईकवाल जवाव पेश किया है तथा अप्रार्थी सं० 1 बाबजूद तामील उपस्थित नही आया। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व तरतीवी प्रतिवादीगण के ईकवाल जवाव के अवलोकन तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान की एकपक्षिय वहस पर मनन करने पर प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फर्माया जाकर आराजी खसरा नम्बर 148/533 की दिशा उत्तर से दक्षिण खसरा नम्बर 11 पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 93/895 पश्चिम से पूर्व खसरा नम्बर 112/527 पश्चिम से पूर्व खसरा नम्बर 418/526 पश्चिम से दक्षिण खसरा नम्बर 430/537 पश्चिम से पूर्व वाके ग्राम पिसई तहसील कटूमर में नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार कटूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कटूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दुरुस्त करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कटूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

अतः यह आदेश आज दिनांक 11.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)
कटूमर (अलवर)